'17

ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–294 / 2022

GCMS NO:- 2022/519

दायर दिनांक: 24.11.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

प्रेमशंकर आ0 नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 सीसोला तहसील नैनवॉ

प्रार्थी

बनाम

1. अनिताबाई पत्नी स्व. जगदीश जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
2. ओमप्रकाश आ0 जगदीश जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
3. परमेश्वर आ0 नाथू जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
4. फुन्दी बाई पुत्री औंकार जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
5. मथरा बाई पुत्री औंकार जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
6. मूली बाई पत्नी स्व0 नाथू जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
7. मोहन आ0 रामचन्द्र जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
8. रूकमणी पुत्री नाथू जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
9. रघूवीर आ0 जगदीश जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
10. रामनारायण आ0 देवीलाल जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
11. राममूर्ति पुत्री औंकार जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
12. सुवालाल आ0 औंकार जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
13. सीमा पुत्री नाथु जाति कुम्हार नि0 सीसोला।
14. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
15. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इन्द्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी:– श्री शंकर लाल शर्मा।

निर्णय दिनांक :– 02.05.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सीसोला प.म. सीसोला तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 184 नया व खाता संख्या 183 पुराना जिसकी खसरा नम्बर 1175 रकबा 0.0890 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.2993 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1185 / 1575 रकबा 0.2427 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.0890 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.2184 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1190 रकबा 0.4045 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1191 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1192 रकबा 0.0243 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.4481 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी 1 / 30 हिस्से पर अपने हिस्सानुसार काविज काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 की कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम शंकर पुत्र नाथू जाति कुम्हार निवासी सीसोला हा रहा है जो कि संहवन से प्रार्थी का स्वयं का नाम प्रेमशंकर के स्थान पर शंकर व पिता का नाम नाथूलाल के स्थान पर नाथू लिखने मे आ गया है जबकि प्रार्थी व उसके पिता का नाम जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड व 10वीं की अंकतालिका सभी दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम प्रेमशंकर आत्मज नाथूलाल हो रहा है जो दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे प्रार्थी व उसके पिता का नाम शंकर आत्मज नाथू दर्ज होने से प्रार्थी को केसीसी निकलवाने, भूमि को रहन, बैचान या अन्य कृषि कार्य मे भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। यह कि प्रार्थी को अकिधार प्राप्त है कि प्रार्थी, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे दर्ज नाम शंकर आत्मज नाथू जाति कुम्हार निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0 के स्थान पर प्रेमशंकर आत्मज नाथूलाल जाति कुम्हार निवासी सीसोला तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0 खातेदार के रूप मे दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया जिसमे से अप्रार्थीगण 1 लगायत 12 व 15 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी तथा अप्रार्थी संख्या 13 को जरिये रजि0 एडी से तलब किया गया था जिसमे उनके द्वारा उसे लेने से मना करने की तामिली रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिससे उनके विरूद्व भी एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार कार्यालय तहसीलदार नैनवां का पत्रांकः– 65 दिनांकः– 25.04.2023 द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक रिकॉर्ड ग्राम सीसोला के नया खाता संख्या 184 मे खातेदार का नाम शंकर पुत्र नाथू जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जबकि इनके डॉक्यूमेंट्स सैकंडरी की मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड सभी मे इनका नाम प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल है। साथ ही बताया कि शंकर पुत्र नाथू व प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल एक ही व्यक्ति है जिससे शंकर पुत्र नाथू के स्थान पर प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल किये जाने से उन्हे कोई आपत्ती नही है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम शंकर आत्मज नाथू जाति कुम्हार दर्ज हो रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरकारी दस्तावेजों व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल ही दर्ज है अतः राजस्व रिकॉर्ड मे शंकर पुत्र नाथू के स्थान पर प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल को संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल अंकित है। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट मे अंकित है कि शंकर पुत्र नाथू एवं प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल दोनों एक ही व्यक्ति है तथा शंकर पुत्र नाथू के स्थान पर प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल किया जाता है तो कोई आपत्ती नही होगी। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम सीसोला पटवार मण्डल सीसोला के जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 खाता संख्या 184 नया में दर्ज "शंकर पुत्र नाथू" के स्थान पर "प्रेमशंकर पुत्र नाथूलाल" शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां